भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1391
(12 दिसम्बर, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए)

प्रवासी कामगारों को प्रशिक्षण

1391. श्रीमती पूनम महाजन:
श्री राजेश नारणभाई चुडासमाः

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) गरीब कल्याण रोजगार अभियान (जीकेआरए) के अंतर्गत राज्य-वार विशेषकर महाराष्ट्र और गुजरात में प्रशिक्षित किए गए और अभी प्रशिक्षित किए जाने के लिए शेष प्रवासी कामगारों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार ने स्थानीय उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न रोजगार केन्द्रित भूमिकाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कुछ प्रयास किए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिए कौशल और उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और;

(घ) ये कदम किस हद तक सफल रहे हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क): गांवों में वापस लौट रहे प्रवासी कामगारों और ग्रामीण क्षेत्रों में इसी प्रकार प्रभावित नागरिकों के लिए रोजगार तथा आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 50,000 करोड़ रुपए के संसाधन पैकेज के साथ 125 दिनों की अवधि के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान (जीकेआरए) 20 जून, 2020 को शुरू किया गया। इस अभियान में बिहार , झारखंड, मध्यप्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश नामक छः राज्यों के 116 चयनित जिलों में 25 कार्यों पर जोर देते हुए विपदाग्रस्त लोगों को तात्कालिक रोजगार तथा आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने , गांवों को सार्वजनिक अवसंरचना से परिपूर्ण करने तथा आय अर्जन कार्यकलापों को बढ़ावा देने वाली आजीविका परिसंपत्तियों का निर्माण करने तथा दीर्घकालिक आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने की बहुद्देश्य कार्यनीति अपनाई गई। यह अभियान

अक्तूबर, 2020 को समाप्त हुआ। गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया। इस अभियान की अवधि के दौरान कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) के माध्यम से कुल 68,136 व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत महाराष्ट्र और गुजरात के किसी जिले को शामिल नहीं किया गया

इस अभियान के अंतर्गत चलाए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का राज्य-वार ब्यौरा इस प्रकार है:

गरीब कल्याण रोजगार अभियान (जीकेआरए) के अंतर्गत आजीविकाओं के लिए केवीके के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम			
क्र.सं.	**राज्य का नाम**	**चलाए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम (संख्या में)**	**कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले व्यक्ति (संख्या में)**
1	बिहार	512	18472
2	झारखंड	48	1680
3	मध्य प्रदेश	384	13474
4	ओडिशा	64	2240
5	राजस्थान	356	12503
6	उत्तर प्रदेश	558	19767
	कुल	**1922**	**68136**

(ख) से (घ): भारत सरकार द्वारा दिसंबर , 2019 में शुरू की गई 'उन्नति' परियोजना ऐसी कौशल प्रशिक्षण परियोजना है , जिसका उद्देश्य महात्मा गांधी नरेगा योजना कामगारों के कौशल आधार का उन्नयन करना और इसके द्वारा उनकी आजीविकाओं में सुधार करना है , ताकि वे आंशिक रोजगार से पूर्ण रोजगार की दिशा में आगे बढ़ सकें।

ग्रामीण कौशल प्रभाग दीन दयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरलएम) की व्यापक योजना के अंतर्गत देश में गरीबी का उन्मूगलन करने के उद्देश्य से ग्रामीण गरीब युवाओं को लाभदायक रोजगार दिलाने लिए कौशल विकास के क्षेत्र में 2 कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है, जिनका ब्यौरा इस प्रकार है:

i. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई) : डीडीयू-जीकेवाई 15 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के ग्रामीण गरीब युवाओं के लिए रोजगार से जुड़ा कौशल विकास कार्यक्रम है। डीडीयू-जीकेवाई के दिशा-निर्देशों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए 50% निधियां तथा अल्पसंख्यकों के लिए 15% निधियां निर्धारित करने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त इस योजना में शामिल की जाने वाली सामान्य श्रेणी सहित संबंधित श्रेणियों में एक तिहाई लाभार्थी महिलाएं होनी चाहिए।

ii. ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) : आरएसईटीआई बैंकों के नेतृत्व में चलाए जाने वाले और ग्रामीण विकास मंत्रालय से वित्तपोषित प्रशिक्षण संस्थान हैं, जिनकी स्थापना प्रायोजक बैंक अपने जिलों में करते हैं , ताकि कौशल एवं उद्यमिता विकास के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके। ग्रामीण विकास मंत्रालय आरएसईटीआई भवन के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है तथा ग्रामीण गरीब अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण की लागत भी वहन करता है। स्व-रोजगार या मजदूरी रोजगार शुरू करने की अभिरूचि और संबंधित क्षेत्र का आधारभूत ज्ञान रखने वाले 18 से 45 वर्ष के आयु वर्ग के बेरोजगार युवा आरएसईटीआई में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके अभ्यर्थियों में से कुछ अभ्यर्थी नियमित वेतन वाले रोजगार/मजदूरी रोजगार भी खोज सकते हैं।

डीडीयू-जीकेवाई और आरएसईटीआई के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा इस प्रकार है:

योजना	डीडीयू-जीकेवाई		आरएसईटीआई	
वि.व.	प्रशिक्षित	रोजगार शुरू करने वाले	प्रशिक्षित	स्व-रोजगार शुरू करने वाले
2020-21	38289	49563	255141	185234
2021-22	97006	45612	314114	256429
2022-23	229024	142136	409802	325880

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने गुणवत्तापूर्ण पीएमएवाई-जी मकानों के निर्माण के लिए कुशल राजमिस्त्रियों की कमी की समस्या के समाधान के उद्देश्य से प्रधान मंत्री आवास योजना – ग्रामीण (पीएमजीएवाई-जी) के अंतर्गत ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण (आरएमटी) कार्यक्रम शुरू किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुशल राजमिस्त्रियों की उपलब्धता यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि इस योजना के अंतर्गत बनाए जाने वाले मकानों की गुणवत्ता अच्छी हो। इस पहल से न केवल ग्रामीण कामगारों को आजीविका के अवसर प्राप्त होते हैं बल्कि इससे विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत ग्रामीण अवसंरचना के निर्माण के लिए कुशल कामगारों की उपलब्धता बढ़ाने में भी सहायता मिलती है। इसलिए मार्च , 2024 तक पर्याप्त संख्या में राजमिस्त्रियों के प्रशिक्षण के निर्धारित लक्ष्य के साथ पीएमएवाई के अंतर्गत राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) की सहायता से ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण (आरएमटी) कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस पहल के अंतर्गत प्रशिक्षण के लिए अब तक 3.47 लाख अभ्यर्थियों का नामांकन किया गया है और 2.46 लाख अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण एवं प्रमाणपत्र प्रदान किए गए हैं।

*****